यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण, वन प्रभाग रानीखेत** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण, वन प्रभाग रानीखेत** के माह 04/2016 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो सुश्री सरूनी शर्मा व0ले0प एवं श्री डी0के0 श्रीवास्तव एवं श्री कलवन्त सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.12.2018 से 05.12.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, ले0 प0 अ0 के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एन0के0 बन्सल एवं श्री कलवन्त सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.09.2016 से 29.09.2016 तक श्री अशोक कुमार लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2011 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: वृक्षारोपण एवं वनों की अग्नि से सुरक्षा का समस्त सात रेन्जो में कार्य रेन्ज का नाम- (गगाँस चन्वरिया, गैरसैड़, चैडरिया, ताडिखेत, जालसी)

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
शून्य	

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	स्थापना (` लाख में)		गैर स्थापना (` लाख में)		आधिक्य	बचत
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	4.50	4.50	153.16	153.16	-	-
2016-17	3.50	3.50	106.22	106.22	-	-
2017-18	5.00	5.00	119.704	119.704	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अ0	प्राप्त	व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)
2016-17	इन्टीग्रेटेड फोरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम	-	3.78	3.78	
2017-18	इन्टीग्रेटेड फोरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम	-	2.30	2.30	

इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय के द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई C श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख वन संरक्षक- अपर प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण, वन प्रभाग रानीखेत** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण, वन प्रभाग रानीखेत** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 09/2017 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: 1. वनों की अग्नि से सुरक्षा - राज्य योजना 2. आरक्षित तथा सिविल सोयम वनो का विकास 3. इन्टीग्रेटेड फारेस्ट प्रोटेक्शन सीम-केन्द्र योजना का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग 2 "ख"</u>

<u>प्रस्तर-</u> 1: अग्रिम मृदा कार्य किये बिना पौधरोपण पर अधोमानक व्यय ` 1.07 लाख ।

वृक्षारोपण संहिता, वन-विभाग, उत्तर प्रदेश द्वितीय पुनरीक्षण जून 2016 के बिन्दु 2.2.20 (वृक्षारोपण कार्य का समय) के अनुसार वृक्षारोपण कार्य की सफलता के लिए समय से अग्रिम मृदा कार्य किया जाना अति महत्वपूर्ण होता है।

कार्यालय वन-संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्रांक संख्या 34/पीए/8-2 दिनांक 30.05.2014 के अनुसार रोपण हेतु पौध तैयार करने में तीन वर्षों में ` **10.65** का व्यय होता है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,भूमि संरक्षण वन प्रभाग रानीखेत के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में वृक्षारोपण से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 मे वृहद वृक्षारोपण के अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य नहीं किया गया था। जबकि वृहद वृक्षारोपण के अन्तर्गत बिना अग्रिम मृदा कार्य किये ही 10000 पौधों का रोपण कर दिया गया था। इस प्रकार 10000 पौधों का रोपण बिना अग्रिम मृदा कार्य किये जाने से `106500/- (10,000X10.65) का अधोमानक पौधरोपण का कार्य किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा स्वीकार किया गया कि बिना अग्रिम मृदा कार्य किये पौधरोपण नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
13/11-12	-	-	
10/16-17	-	-	

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
13/2011-12	-	01,02,03	
10/2016-17	-	01	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण, वन प्रभाग रानीखेत** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण, वन प्रभाग रानीखेत** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र